

न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश  
वर्ग-1, तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

(पीठासीन अधिकारी- आसिफ अहमद अब्बासी)

व्यवहार वाद क्रं. 24ए/2017  
संस्थित दिनांक. 17.03.2015

1. भगुनसिंह पुत्र कामता प्रसाद जाति काछी आयु 57 साल पेशा खेती निवासी ग्राम बडैरा तहसील चंदेरी
2. प्रकाश पुत्र कामता प्रसाद जाति काछी आयु 50 साल पेशा खेती निवासी ग्राम बडैरा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर मध्य-प्रदेश

..... वादियां

**विरुद्ध**

1. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल अशोकनगर मध्य-प्रदेश
2. वनपरिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र चंदेरी जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश
3. मध्य-प्रदेश राज्य शासन द्वारा जिलाधीश मण्डल अशोकनगर मध्य-प्रदेश
4. मुख्य अभियन्ता बेतवा नदी परिषद राजघाट नन्दनपुरा झांसी उत्तर प्रदेश

..... प्रतिवादीगण

// निर्णय //

:: आज दिनांक 21.12.2017 को पारित ::

01- यह वाद ग्राम बडैरा तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्र0 1161 रकबा 2.759 हैक्टेयर, जिसे निर्णय के आगे के चरणों में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है, पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्वत्व घोषणा एवं निषेधाज्ञा की सहायता सहित उक्त भूमि के संबंध में तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 34ए6/99-2000 में पारित आदेश दिनांक-22.04.2000 को वादीगण के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने एवं वादीगण का राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि पर अपना नाम अंकित कराने का अधिकार घोषित किये

जाने के साथ यह घोषित किये जाने की प्रतिवादी क्र० 3 व 4 वादीगण को दी गई मुआवजा राशि वादीगण के वापस प्राप्त कर सकते हैं, की सहायता प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया है।

- 02— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित भूमि शासन के द्वारा 1978-79 में राजघाट बांध परियोजना के लिये अधिग्रहीत की गई थी तथा अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप मुआवजा राशि भी वादीगण को प्रदान की गई थी। प्रकरण में यह भी स्वीकृत तथ्य है कि वर्तमान में विवादित भूमि पर वादीगण का अधिपत्य है।
- 03— दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि पूर्व में वादीगण के स्वत्व की थी तथा वर्तमान में भूमि पर वादीगण का अधिपत्य है। वर्ष 1978-79 में शासन के द्वारा राजघाट बांध के लिये विवादित भूमि अधिग्रहीत कर वादीगण को मुआवजा राशि दी गई थी। विवादित भूमि राजघाट बांध परियोजना के बाहर स्थित थी, जो राजघाट बांध के उपयोग में नहीं आई और न ही उसका उपयोग कभी परियोजना के लिये किया। विवादित भूमि का राजघाट बांध के उपयोग न होने के कारण तहसीलदार चंदेरी ने प्रकरण क्र० 34ए6/99-2000 में आदेश दिनांक-22.04.2000 के द्वारा विवादित भूमि बिना वादीगण को सूचना दिये वनविभाग के नाम कर दी, जबकि वादीगण का प्रतिवादीगण की जानकारी में भूमि पर हमेशा से कब्जा रहा है तथा वादीगण विवादित भूमि पर मकान बनाकर निवास कर रहे हैं तथा भूमि पर खेती कर रहे हैं एवं उस पर उनके फलदार वृक्ष भी लगे हैं।
- 04— वादीगण के अनुसार वनविभाग के द्वारा दिनांक 27.12.2014 को सूचनापत्र वादीगण को प्रेषित किये गये तथा विवादित भूमि से बेदखल की धमकी देकर वादीगण के स्वत्व से इन्कार किया गया। जबकि भू-अर्जन अधिनियम की धारा 101 एवं भू-राजस्व संहिता की धारा-181 के प्रावधान के अनुसार वादीगण विवादित भूमि वापस पाने के दावेदार है। वादकारण दिनांक-27.12.2014 को ग्राम बडेरा में उत्पन्न हुआ। जिसके पश्चात् यह वाद निर्णय के चरण क्र० 1 में वर्णित सहायता प्रतिवादीगण को धारा 80 सी०पी०सी० का सूचना पत्र प्रेषित किये जाने के बाद समय अवधि में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 05— वनविभाग की ओर से प्रस्तुत जबाब में दावे के अभिवचनों को अस्वीकार किया है, प्रतिदावा संक्षेप में इसप्रकार है कि विवादित भूमि बीट ग्राम नानक पुर के कक्ष क्रमांक-220 के अंतर्गत होना बताई है। जिस पर वादीगण के द्वारा

अतिक्रमण कर कृषि कार्य किया जा रहा है। विवादित भूमि वन विभाग की भूमि है, जिसका नामांतरण तहसीलदार चंदेरी ने वन विभाग के पक्ष में किया है। विवादित भूमि शासन के द्वारा अर्जित की गई है तथा उसका विधिवत् मुआवजा भी वादीगण को प्रदान किया गया है। विवादित भूमि राजघाट बांध की सुरक्षा के लिये वनविभाग को वृक्षारोपण के लिये दी गई है। जिस पर वादीगण जानबूझकर अतिक्रमण कर रहे हैं और शासन की नीति को विफल कर रहे हैं अतः 10,000/- रुपये हर्जे पर दावा निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

06— प्रतिवादी क्रमांक-4 की ओर से जबावदावा संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि भू-अर्जन अधिनियम की धारा-11 के अंतर्गत दिनांक-30.05.1979 को अवार्ड पारित कर अर्जित की गई है तथा भू-अर्जन अधिकारी के द्वारा दिनांक-05.06.1979 को उक्त भूमि का राजघाट बांध परियोजना को कब्जा सौंप दिया था। उक्त दिनांक से भूमि राजघाट बांध (शासन) के स्वत्व व आधिपत्य की है। विवादित भूमि राजघाट बांध की डाउनस्ट्रीम में है एवं बांध की सुरक्षा की दृष्टि से एवं अन्य प्रयोजनों से उसकी कभी भी आकास्मिक आवश्यकता पड सकती है। विवादित भूमि भू-अर्जन संहिता की धारा-181 के तहत पट्टे पर नहीं दी जा सकती है। बांध के जलाशय भराव क्षेत्र में अत्यधिक जल संग्रहण एवं मछली पालन आदि से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिये वृक्षारोपण किया जाता है, जिसके लिये विवादित भूमि वन विभाग को वृक्षारोपण कार्य हेतु दी गई है। जिसके लिये राजघाट बांध के द्वारा वन विभाग को राशि भी दी गई है। विवादित भूमि के संबंध में संशोधित भू-अर्जन अधिनियम की धारा-101 लागू नहीं होती है, क्योंकि भूमि वर्ष-1979 में अधिग्रहीत की गई है। प्रतिवादीगण को वादीगण के सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुये। वाद विधि संगत न होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

07—प्रकरण में प्रकरण में मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न निर्धारित किये गये हैं। जिनके समक्ष उन पर मेरे द्वारा दिये गये निष्कर्ष अंकित हैं:—

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या ग्राम बडेरा तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1161 रकबा 2.759 हैक्टेयर भूमि एवं उसमें स्थित कुआ, बगीचा व मकान वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य के है ?	प्रमाणित नहीं।

02.	क्या उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में पारित आदेश दिनांक 22.04.2000 वादीगण पर बंधनकारी नहीं है ?	प्रमाणित नहीं।
03.	क्या प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर हस्तक्षेप किये जाने का प्रयास किया जा रहा है ?	प्रमाणित नहीं।
04.	क्या वादी उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं।
05.	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कंडिका 38 अनुसार प्रदान की गई।

—सकारण निष्कर्षः—

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 का विवेचन एवं निष्कर्षः—**

08—वादीगण की ओर से प्रकरण में अपने समर्थन में स्वयं वादी भगुन सिंह सहित वादीगण के पिता कामता प्रसाद व साक्षी रामदयाल, तिज्जु व प्रेमसिंह के शपथ पत्र कथन न्यायालय में कराये गये हैं। भगुनसिंह (वा0सा-1) का अपने मुख्यपरीक्षण की शपथ कथनों की कण्डिका-1 में ही यह कहना है कि विवादित भूमि उसके तथा उसके भाई प्रकाश के स्वत्व व अधिपत्य की भूमि है जो कि वादीगण के संयुक्त परिवार की भूमि है। वादी के उपरोक्त कथनों की पुष्टि उसकी ओर से परीक्षण कराये गये साक्षी रामदयाल तिज्जु व प्रेमसिंह ने अपने मुख्यपरीक्षण में शपथ कथनों की कण्डिका-2 में करते हुये विवादित भूमि पर वादीगण का स्वत्व व अधिपत्य होना बताया है।

09—विवादित भूमि पर स्वत्व होना व उस पर अधिपत्य होना दोनों ही अलग-अलग विषय वस्तु हैं, विवादित भूमि पर पूर्व में वादीगण तथा उसके पूर्वजों का स्वत्व व अधिपत्य था, यह प्रकरण में भले ही विवादित नहीं है तथा प्रतिवादी साक्षी चंद्रवीर सिंह ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-6 में यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि पहले भगुन सिंह की थी तथा शिरोमणि दांगी ने भी अपने-अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-6 में यह स्वीकार किया है

कि विवादित भूमि पहले वादीगण के पिता कामता प्रसाद आदि के नाम पर दर्ज थीं। वादीगण की ओर से प्रस्तुत खसरा संबत् 2033-36 प्रदर्श पी-1 की सत्यप्रतिलिपि से भी होती है, इस बात की पुष्टि होती है कि विवादित भूमि संबत् 2033-36 में मुलूआ जो कि वादीगण के दादा थे तथा कामता प्रसाद के पिता थे, के नाम पर दर्ज थीं। भगुन (वा0सा-1) सहित वादी साक्षी विवादित भूमि पर एक मात्र वादीगण का स्वत्व व अधिपत्य होना अपने सशपथ कथनों में कहते हैं, परन्तु प्रदर्श-पी-1 के खसरों से विवादित भूमि पर मुलूआ के साथ अन्य सह खातेदार की प्रविष्टि यह दर्शित करती है कि उक्त भूमि पर एक मात्र स्वत्व व अधिपत्य मुलूआ का नहीं था। अतः सर्वप्रथम वादीगण का यह कहना है कि विवादित भूमि उनके एक मात्र स्वत्व व आधिपत्य की भूमि है, स्वयं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होती हैं।

10-भगुन (वा0सा-1) सहित वादी साक्षी विवादित भूमि पर वर्तमान में भी वादीगण का स्वत्व होने के संबंध में न्यायालय में कथन देते हैं, परन्तु उपरोक्त दिये गये कथन वादीगण की ओर से प्रस्तुत अभिवचनों के ही, विपरीत है। वादीगण ने अपने अभिवचनों की कण्डिका-1 में ही विवादित भूमि पर अपना आधिपत्य होना तो बताया है, परन्तु विवादित भूमि पर वर्तमान में उनका स्वत्व है, इसके विपरीत उनके अभिवचन है कि विवादित भूमि “वादीगण के स्वत्व की थीं”। अतः स्पष्ट है कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य अभिवचनों के विपरीत है तथा वादीगण स्वयं भी वर्तमान में विवादित भूमि पर अपना स्वत्व न होना स्वीकार करते हैं तथा उनके द्वारा प्रस्तुत अभिवचन से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण कब्जे के आधार पर विवादित भूमि पर अपना स्वत्व की मांग कर रहे हैं।

11-यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में वादीगण तथा प्रतिवादीगण के अभिवचनों से यह स्वीकृत है कि विवादित भूमि वर्ष 1978-79 में राजघाट बांध के लिये अधिग्रहित कर ली गई थी, तथा उक्त भूमि का मुआवजा भी वादीगण को दे दिया गया था। उक्त तथ्य को और स्पष्ट करते हुये प्रभारी सहायक अभियंत्रा राजघाट बांध शिरोमणि दांगी ने अपने न्यायालीन कथनों में अपने अभिवचनों की पुष्टि करते हुये यह कथन दिये हैं कि विवादित भूमि भू-अर्जन अधिनियम की धारा-11 के अंतर्गत दिनांक 30.05.1979 को अवार्ड पारित कर अधिग्रहित की गई थीं तथा संबंधित कृषकों को मुआवजे का भुगतान भी किया गया था और भू-अर्जन अधिकारी ने उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर दिनांक-05.06.1979 को विवादित भूमि का कब्जा राजघाट बांध को सौंपा था। शिरोमणि

दांगी के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन उसके प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित रहे हैं तथा शिरोमणि दांगी की ओर से प्रकरण में भू-अर्जन अधिकारी के आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-डी-2 अपने समर्थन में प्रस्तुत की गई है। जिसकी सत्यता को भी वादीगण की ओर से भी कोई चुनौती नहीं दी गई है।

12—अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि विवादित भूमि भी भू-अर्जन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार शासन के द्वारा दिनांक-30.05.1979 को प्रदर्श-डी 2 के आदेश पारित कर भू-अर्जन अधिकारी के द्वारा अधिग्रहित की गई थी तथा उक्त भूमि की मुआवजा राशि भी तत्समय भूमि के स्वामी को प्रदान की गई थी। वादीगण ने हालांकि ने अपने अभिवचनों में उक्त तथ्य को स्वीकार किया है, परन्तु स्वयं वादी भगुन सिंह (वा0सा-1) सहित साक्षी रामदयाल, वादी के पिता कामता प्रसाद, तिज्जू ने अपने प्रतिपरीक्षण में अपने अभिवचनों के विपरीत विवादित भूमि के अधिग्रहण होने एवं उसकी मुआवजा राशि प्राप्त होने के तथ्य को ही इन्कार किया है तथा साक्षी प्रेमसिंह लोधी अपने प्रतिपरीक्षण में अधिग्रहण व मुआवजा राशि मिलने की जानकारी होने से ही इन्कार करता है। वहीं स्वयं वादीगण का पिता कामता प्रसाद का अपने सशपथ कथनों में कहना है कि उसे भूमि का उचित मुआवजा नहीं मिला।

13—अतः वास्तव में विवादित भूमि का अधिग्रहण हुआ था तथा शासन के द्वारा उक्त भूमि का मुआवजा भी संबंधित कृषक या तत्समय के भूमि स्वामी को प्रदान किया था, इस संबंध में वादी सहित साक्षियों की साक्ष्य अभिवचनों के विपरीत होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है तथा भूमि का अधिग्रहण एवं अधिग्रहण के पश्चात् मुआवजा राशि प्राप्त होने का तथ्य स्वयं वादीगण के द्वारा अपने अभिवचनों में स्वीकार किये जाने के पश्चात् यह स्पष्ट हो जाता है, कि विवादित भूमि प्रदर्श-डी-2 के आदेश उपरांत शासन के द्वारा राजघाट बांध के लिये अधिग्रहीत किये जाने के पश्चात् एवं मुआवजा राशि अदा किये जाने के उपरांत विवादित भूमि राजघाट बांध के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि हो गई थी। जिसका आधिपत्य प्रतिवादी साक्षी शिरोमणि दांगी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-7 में अपने अभिवचनों की पुष्टि करते हुये भू-अर्जन अधिकारी से दिनांक-05.06.1979 को प्राप्त होना बताया है। जिसकी पुष्टि स्वयं वादीगण की ओर से प्रस्तुत खसरा संबत् 2052-56 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-पी 2 में विवादित भूमि के संबंध में राजघाट बांध के नाम की प्रविष्टि से होती है।

14—अतः यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि अधिग्रहीत हो जाने के पश्चात् उस पर तत्समय के स्वामी/कृषक तथा उनके वंशज अथवा वादीगण का कोई स्वत्व नहीं बनता है तथा विधिवत् विवादित भूमि का अधिपत्य राजघाट बांध को सौंपा गया। वादीगण ने विवादित भूमि पर अधिग्रहण होने के पश्चात् भी अपना अधिपत्य होना अपने अभिवचनों में बताया है तथा वादीगण का कहना है कि विवादित भूमि पर उनके मकान व फलदाल वृक्ष लगे हैं तथा विवादित भूमि अधिग्रहीत हो जाने के पश्चात् भी राजघाट बांध परियोजना के अंतर्गत भूमि की कभी आवश्यकता नहीं थी, न ही उसका उपयोग उपभोग परियोजना में किया गया। जिससे वह मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 181 एवं संशोधित भू-अर्जन अधिनियम की धारा-101 के प्रावधान के अनुसार अनउपयोगी रही भूमि को प्रत्यावर्तन के द्वारा प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं।

15—यह उल्लेखनीय है कि वादीगण ने विवादित भूमि पर अपने स्वत्व का आधार उक्त भूमि का राजघाट बांध परियोजना में कोई उपयोग न होने के आधार पर तथा स्वयं का कब्जा निरन्तर होने के आधार पर अपने अभिवचनों में बताया है, परन्तु भगुन सिंह सहित किसी भी साक्षी ने इस आशय की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की, कि विवादित भूमि राजघाट बांध परियोजना में उपयोग न होने के कारण बांध तथा शासन के लिये उक्त भूमि वर्तमान में निरपयोगी है। जबकि इसके विपरीत स्वयं राजघाट बांध परियोजना के प्रभारी सहायक अभियंता शिरोमणि दांगी की ओर से प्रस्तुत अभिवचन के अनुसार विवादित भूमि राजघाट बांध परियोजना के डाउनस्ट्रीम की भूमि हैं, जो बांध की सुरक्षा एवं अन्य प्रयोजन के लिये आवश्यक है। अभिवचनों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जल भराव क्षेत्र एवं मत्स्या पालन से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिये वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। जिसके लिये विवादित भूमि पर वृक्षारोपण के कार्य हेतु वन विभाग को राजघाट बांध द्वारा राशि भी प्रदान की गई है।

16—शिरोमणि दांगी ने अपने न्यायालीन कथनों में अपने अभिवचनों की पुष्टि करते हुये अकाट्य व अखण्डित कथन दिये हैं, जिनमें लेषमात्र भी विरोधाभास की स्थिति नहीं है तथा इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-6 में भी यह भी स्पष्ट किया है कि जमीन राजघाट बांध के उपयोग में आ रही है तथा उक्त भूमि को वन विभाग को सौंप दिया गया है। वनपरिक्षेत्र सहायक चंद्रवीर सिंह ने भी अपने सशपथ कथनों में अपने अभिवचनों की पुष्टि करते हुये यह स्पष्ट किया है कि विवादित भूमि राजघाट बांध की सुरक्षा के लिये पौधा

रोपड़, दुवा व सुरक्षा की अन्य दृष्टि से राजघाट बांध के द्वारा वन विभाग को दी गई है तथा वन विभाग के द्वारा विवादित भूमि पर वृक्ष लगाने का कार्य किया जा रहा है। इस बात की पुष्टि स्वयं वादी प्रेमसिंह ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-8 में की है।

17—अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि का उपयोग भले ही राजघाट बांध के द्वारा जल भराव के लिये नहीं किया गया। पर निश्चित रूप से जल भराव के अलावा भी अनुशांगिक प्रयोजन जैसे सुरक्षा, प्रदूषण को रोकना, मिट्टी का कटाव रोकना आदि के लिये जलाव भराव क्षेत्र से लगी हुई भूमियों को भी आवश्यकता होती है, जिस पर निर्माण कार्य न होने से मात्र से यह नहीं माना जा सकता है कि उक्त भूमि निरपयोगी है। उक्त भूमि पर वृक्ष लगे हैं यह स्वयं वादी साक्षियों ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है। भगुन सहित सभी वादी साक्षी विवादित भूमि पर 20 साल से अधिक समय से पेड़ खड़े होना बताते हैं।

18—वादीगण के द्वारा विवादित भूमि पर कब्जे के आधार पर एवं उक्त भूमि के राजघाट बांध के द्वारा उपयोग न किये जाने के आधार पर स्वत्व घोषणा की सहायता चाही गई है तथा वादीगण का अभिवचनों में कहना है कि भू राजस्व संहिता की धारा-181 एवं भू-अर्जन अधिनियम की धारा-101 के तहत उन्हें उक्त अधिकार विवादित भूमि में प्राप्त होते हैं। वादीगण की ओर से अभिवचनों में जिन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है उनके संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत आधारों पर यदि विचार किया भी जावे तो उसके लिये सर्वप्रथम भू-राजस्व संहिता की धारा 181 का उल्लेख किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। भू-राजस्व संहिता की धारा 181 के प्रावधान के अनुसार...

*प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो राज्य सरकार से भूमि धारण करता है या जिसे राज्य सरकार या कलेक्टर ने भूमि को दखल में लेने का अधिकार प्रदान कर दिया है और जो भूमि को भूमि स्वामी के रूप में धारण करने का हकदार नहीं है, ऐसी भूमि के संबंध में सरकारी पट्टेदार कहलाएगा।*

*प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय—*

*क— मध्यभारत क्षेत्र में कोई भूमि मध्यभारत भू आगम एवं कृषिकाधिकार विधान, संवत् 2007 (क्र. 66 सन् 1950) में यथापरिभाषित साधारण कृषक के रूप में धारण करता है या*



ख— विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में कोई भूमि विन्ध्यप्रदेश लैण्ड रेवेन्यू एण्ड टेनेन्सी एक्ट, 1953 (क्र० 3 सन् 1955) में यथापरिभाषित विशेष कृषक के रूप में या कोई ऐसा निकुंज या तालाब या ऐसी भूमि, जो सरकारी या सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये अर्जित कर ली गई है या अपेक्षित है, गैर हकदार कृषक के रूप में धारण करता है या

ग— सिरोंज क्षेत्र में कोई भूमि राज्य सरकार से राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 (क्र. 3 सन् 1955) में यथापरिभाषित गैर खातेदार कृषक के रूप में धारण करता है, ऐसी भूमि के संबंध में सरकारी पट्टेदार समझा जाएगा।

19—उपरोक्त धारा—181 में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है कि अधिग्रहित हो जाने के पश्चात् यदि भूमि निरपयोगी रहती है तो उसे उसका पूर्व स्वामी अधिकार पूर्वक प्राप्त कर सकता है। शासकीय पट्टे पर शासन के द्वारा दी जाने वाली भूमि शासन के विवेकाधिकार पर होती है तथा राज्य सरकार ही यह निर्धारित कर सकती है कि कौन सी भूमि शासकीय पट्टे पर प्रदान की जावे। अधिग्रहित की गई भूमि की निरपयोगी होने के पश्चात् राज्य सरकार से ऐसी भूमि पूर्व भूमि स्वामी पट्टे पर अधिकार पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान भू-राजस्व संहिता की धारा—181 में नहीं है।

20— वादीगण की ओर से भू अर्जन अधिनियम की धारा—101 का आबलम्बन भी लिया गया है, जिसके संबंध में यह उल्लेख करना उचित होगा कि उक्त अधिनियम को रीपिल कर **Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013** पारित किया गया है। इस अधिनियम की धारा—101 के अनुसार When any land acquired under this Act remains **unutilised** for a period of five years from the date of taking over the possession the same shall be returned to the original owner or owners or their legal heirs as the case may be or to the Land Bank of the appropriate Government by reversion in the manner as may be prescribed by the appropriate Government.

21— उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रावधान तब लागू होगा, जब अधिग्रहण के पश्चात् अधिग्रहीत की गई भूमि कब्जा प्राप्त करने की दिनांक से पांच वर्ष तक अनुपयोगी रही हो, निश्चित रूप से वर्तमान प्रकरण

में वादीगण ने उक्त आधार पर ही विवादित भूमि पर अपना स्वत्व घोषित किये जाने की सहायता चाही है, परन्तु उक्त प्रावधान आकर्षित करने के लिये यह साबित किया जाना आवश्यक है कि अधिग्रहण के पश्चात् भूमि पांच वर्ष तक निरपयोगी रही।

22—विवादित भूमि अधिग्रहण के पांच वर्ष तक निरपयोगी रही, यह साबित करने के लिये वादीगण की ओर से न तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। निश्चित रूप से विवादित भूमि पर वर्तमान में वादीगण का आधिपत्य है तथा वादीगण का कब्जा स्वयं वनपाल चंद्रवीर सिंह ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है तथा उस पर वादीगण के मकान बने होना तथा परिवार सहित उनका रहना भी स्वीकार किया है, परन्तु चंद्रवीर सिंह का अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी कहना है कि उक्त भूमि वादीगण के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अभिलेख पर इस आशय की कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो अधिग्रहण के पश्चात् से विवादित भूमि वादीगण का निरन्तर अधिपत्य साबित करता हो, वादी सहित उसके साक्षी अधिग्रहण व मुआवजा राशि प्राप्त होने के संबंध में ही अभिवचनों के विरुद्ध न्यायालय में कथन दे रहे हैं, जिससे विवादित भूमि पर उनके प्रारंभ से अधिपत्य होने के संबंध में दिये गये कथन भी विश्वसनीय नहीं है।

23—वादीगण की ओर से अपने अभिवचनों में ही यह स्वीकार किया गया है कि वन विभाग विवादित भूमि से उन्हें बेदखल करने की कार्यवाही कर रहा है तथा वन विभाग की ओर से उन्हें सूचना पत्र भी दिये गये हैं जो प्रदर्श-पी-3 व 4 प्रकरण में प्रस्तुत किये गये हैं तथा प्रतिवादीगण की ओर से वन मण्डल अधिकारी का आदेश प्रदर्श-डी-7 व वादी सन्तोष के विरुद्ध दर्ज किया गया वन अपराध की P.O.R. की सत्यापित प्रति प्रदर्श-डी 4 व पंचनामा प्रदर्श-डी 5 एवं उसके संबंध में दिया गया नोटिस प्रदर्श-डी 6 प्रस्तुत किये गये हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि वन विभाग वादीगण के विरुद्ध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर रहा है।

24—यह उल्लेखनीय है कि विवादित भूमि पर वर्तमान में वादीगण का काबिज हैं यह अभिलेख पर आई उपरोक्त साक्ष्य से साबित है, परन्तु मात्र उक्त कब्जे के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि विवादित भूमि का राजघाट बांध के द्वारा कोई उपयोग नहीं किया गया। विवादित भूमि पर भगुन अपने

मकान दादा-परदादा के समय से बने होना बताता है, परन्तु अभिलेख पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है, जो कि अधिग्रहण दिनांक से वादीगण का विवादित भूमि पर अधिपत्य होना साबित करता हो, यदि दादा के समय ही भूमि अधिग्रहीत कर ली गई थी, तो उसके बाद भी उनका निरन्तर कब्जा यदि मान भी लिया जावे, तो भी उक्त कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में आता है और मात्र अतिक्रमण होने से यह नहीं माना जा सकता है कि विवादित भूमि का कोई उपयोग राजघाट बांध के द्वारा नहीं किया गया।

25—सहायक अभियंता शिरोमणि दांगी ने विवादित भूमि का उपयोग राजघाट बांध के लिये होने के तर्क संगत आधार प्रस्तुत किये गये हैं तथा इस आशय की अखण्डित साक्ष्य भी इस साक्षी के द्वारा प्रस्तुत की गई है, जो यह दर्शित करती है कि विवादित भूमि राजघाट बांध के लिये निरपयोगी नहीं रही है, क्योंकि उक्त भूमि पर राजघाट बांध की सुरक्षा एवं प्रदूषण रोकने के लिये वृक्षारोपण का कार्य किया जाना था, इसलिये तहसीलदार के द्वारा विवादित भूमि वन भूमि को दिये जाने का प्रकरण क्रमांक—34ए6/99—2000 में पारित आदेश दिनांक—22.04.2000 विधिवत् पारित किया गया आदेश है, जिसके आधार पर विवादित भूमि वन विभाग को प्राप्त हुई। अतः चूंकि विवादित भूमि निरुपयोगी होना ही साबित नहीं होता है इसलिए वादीगण को Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 की धारा—101 के तहत विवादित भूमि वापस प्राप्त करने कोई अधिकार अर्जित नहीं होता है।

26—वादीगण की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में व्यक्त किया गया है कि भूमि अर्जन किये जाने के बाद किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं दी जा सकती हैं तथा वादीगण की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत **Union Of India & Ors vs M/S. Indo-Afghan Agencies Ltd AIR 1968 S.C. 718** एवं माननीय पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत **AIR 1971 punjab 337** का आबलबन लिया है, परन्तु उपरोक्त न्यायदृष्टांत में तथ्य एवं परिस्थितियों एवं विवाद के बिंदू वर्तमान प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थिति व विवाद बिंदू से भिन्न है, जिससे उपरोक्त न्यायदृष्टांत वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों पर लागू नहीं होते हैं।

27—वादीगण की ओर से लिखित तर्क में इस बात का हवाला दिया गया है कि शिरोमणि दांगी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कण्डिका—7 में यह स्वीकार किया है कि जल भराव से खाली होने पर भूमि उन काश्तकारों को दे दी जाती है।

जिनकी वह भूमि होती है। जिसके संबंध में यह उल्लेख करना उचित होगा कि मात्र किसी साक्षी के यह कह देने से कि जल भराव न होने के कारण भूमि काश्तकारों की मांग पर उन्हें दे दी जाती है, उससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है कि उक्त भूमि का स्वामित्व पुनः कृषकों को प्राप्त हो जाता है, भूमि अर्जित होने के बाद भूमि पुनः कृषकों को किस आधार पर प्राप्त हो सकती है इसके निर्धारण के लिये अधिनियम हैं, उसके विपरीत कोई व्यक्ति अर्जित की गई भूमि को वापस प्राप्त नहीं कर सकता है। शिरोमणि दांगी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-9 में यह भी स्पष्ट किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि भू-अर्जन के बाद जो जमीन बचती है, वह काश्तकारों को वापस कर दी जाती है।

28-अतः भूमि पुनः अर्जित करने के आधार वादीगण को संबंधित अधिनियम के अनुरूप साबित करने थे, परन्तु अभिलेख पर आई साक्ष्य से ऐसे कोई आधार वादीगण साबित नहीं कर सके। भूमि अधिग्रहीत होने के पश्चात् उक्त भूमि राजघाट बांध के स्वामित्व पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है जो प्रदर्श-पी-2 के राजस्व खसरो से प्रमाणित होता है तथा उक्त भूमि वर्तमान में तहसीलदार आदेश के उपरांत विधिवत् शासकीय भूमि होकर वन विभाग की भूमि हो गई है। वादीगण की ओर से न तो पूर्व में कभी विवादित भूमि के अधिग्रहण को कोई चुनौती दी गई जो कि 1979 में हुआ, और तहसीलदार के आदेश को कोई चुनौती दी गई जो कि वर्ष 2000 में हुआ। अतः ऐसे में तहसीलदार के द्वारा प्रकरण क्रमांक 34ए6/99-2000 में पारित आदेश दिनांक-22.04.2000 में विवादित भूमि वन भूमि को दिये जाने के संबंध में कोई अवैधता व अनियमितता दर्शित नहीं होती है। जिससे उक्त आदेश पूरी तरह से वादीगण पर बंधनकारी हैं। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 2 प्रमाणित होने से उसका निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।

29-विवादित भूमि अधिग्रहण उपरांत शासकीय स्वत्व की भूमि हैं और यदि वादीगण को उस पर कब्जा भी है, तो वह मात्र अतिक्रमक हैं। जिससे उन्हें विवादित भूमि पर न तो स्वत्व प्राप्त होता है और न ही वह उक्त भूमि पर खड़े वृक्षों और मकान का स्वत्व अपने पक्ष में घोषित कराने के पात्र हैं। विवादित भूमि पर वादीगण का अधिपत्य वर्तमान में प्रमाणित है परन्तु उक्त अधिपत्य मात्र अतिक्रमक के तौर पर है। अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि वादीगण विवादित भूमि सहित उसमें स्थित कुंआ मकान व बगीचे के विधिवत् स्वत्व व अधिपत्यधारी है। जिससे वाद प्रश्न क्रमांक 1 का प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

**वाद प्रश्न क्रमांक 3, 4 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-**

- 30- उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवादित भूमि वादीगण के स्वत्व की होना प्रमाणित नहीं है तथा उक्त भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से अपने स्वत्व का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत किया गया है तथा स्वयं वादीगण अपने अभिवचनों में विवादित भूमि का अधिग्रहण एवं विवादित भूमि तहसीलदार के आदेश से वन विभाग को दिये जाना स्वीकार किया गया है। विवादित भूमि पर वादीगण की स्थिति अतिक्रमक की है, जबकि वन विभाग को भूमि प्राप्त होने पर निश्चित रूप से वृक्षारोपण कार्य के लिये उक्त भूमि की वन विभाग को आवश्यकता है जिसमें वादीगण ही अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं।
- 31-वादीगण की ओर से लिखित तर्क में यह व्यक्त किया गया है कि यदि वादीगण का विवादित भूमि पर स्वत्व प्रमाणित न हो तो स्वीकृत कब्जों के आधार पर वह स्थाई निषेधाज्ञा पाने के दावेदार हैं, जिसके संबंध में वादीगण की ओर से माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत कलादेवी बनाम मध्यप्रदेश राज्य राजस्व निर्णय 2012 नोट 269, उमराव बनाम मध्यप्रदेश राज्य राजस्व निर्णय 2009 नोट 158, ए0आई0आर0 1990 एम0पी0 348 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत ए0आई0आर0 1968 एस0 सी0 नोट 620, ए 0 आई0 आर0 1970 एस0 सी0 नोट 846 में प्रतिपादित विधि का आबंलवन लिया है।
- 32-वादीगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त सम्मानीय न्यायदृष्टांतों पर विचार किये जाने से पूर्व पुनः यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि विवादित भूमि के अधिग्रहण पश्चात् से निरन्तर अधिग्रहण के समय से ही वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा रहा है, यह साबित करने के लिये वादीगण की ओर से कोई विश्वसनीय मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। वादीगण की ओर से तर्क में मात्र वनपरिक्षेत्र सहायक चन्द्रवीर सिंह के द्वारा की गई स्वीकोरोक्ति कि वह अपनी पदस्थापना के समय से ही विवादित भूमि पर वादीगण का अतिक्रमण देख रहा है, से यह निष्कर्ष नहीं निकला जा सकता है कि विवादित भूमि पूर्वजों के समय से ही वादीगण के अधिपत्य की निरन्तर रही है।
- 33- उपरोक्त स्थिति वन परिक्षेत्र सहायक चन्द्रवीर सिंह के इन कथनों से भी हो जाती है कि वर्ष 2014 में वादीगण को प्रदर्श-पी 3 व 4 का सूचना पत्र मात्र 0.100 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में दिया गया था तथा वर्तमान में संपूर्ण विवादित भूमि पर वादीगण का अतिक्रमण होना इस साक्षी ने स्वीकार

किया हैं, जो यह दर्शित करता है कि वादीगणे अतिग्रहित विवादित भूमि पर प्रारंभ से ही काबिज नहीं है बल्कि उनके द्वारा बाद में विवादित भूमि पर वर्ष 2014 तथा उससे पूर्व अतिक्रमण किया गया हैं, जिसके पश्चात् से वन विभाग ने उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ की। अतः विवादित भूमि अधिग्रहण होने के पश्चात् से विधिवत् राजघाट बांध/शासन के स्वत्व पर दर्ज हुई तथा उसके पश्चात् राजघाट बांध परियोजना से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिये उक्त भूमि पर वृक्षारोपण के कार्य हेतु वन विभाग को दी गई तथा भूमि वन विभाग को प्राप्त होने के पश्चात् वादीगण ने पुनः उक्त भूमि पर कब्जा किया, जबकि विवादित भूमि पर अधिग्रहण के पश्चात् एवं मुआवजा राशि प्राप्त कर लेने के उपरांत वह अपना स्वत्व पूर्व में ही खो चुके थे। अतः यदि वर्तमान में विवादित भूमि पर वादीगण का अधिपत्य है, भी तो वह अतिक्रमक के तौर पर है।

34—अतः देखा यह जाना है कि वास्तव में वादीगण उपरोक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में विवादित भूमि पर अपने अधिपत्य की सुरक्षा के लिये प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने के हकदार हैं अथवा नहीं। यह उल्लेखनीय है कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टांतों के समग्र अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त न्यायदृष्टांतों में यह विधि प्रतिपादित की गई है कि यदि कोई व्यक्ति लंबी अवधि से किसी भूमि के अधिपत्य में हैं, तो उसके पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है तथा यदि उसके अधिपत्य विधिवत् नहीं पाया जाता है तब भी उसे विधि की सम्यक प्रक्रिया के अनुसार ही बेदखल किया जा सकता है।

35—निश्चित रूप से यदि कोई व्यक्ति कब्जों में है तो उसे विधि की सम्यक प्रक्रिया के अनुसार बेदखल करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने कई न्यायदृष्टांतों में विधि प्रतिपादित की है, परन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विभिन्न न्यायदृष्टांतों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि व्यक्ति किसी भूमि पर अतिक्रमक हैं, तो वह भूमि के मूल स्वामी को छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति के विरुद्ध अधिपत्य के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा तो प्राप्त कर सकता है, परन्तु ऐसी कोई सहायता किसी अतिक्रमक को भूमि के मूल स्वामी के विरुद्ध प्रदान नहीं की जा सकती है।

36—न्यायालय का उपरोक्त अभिमत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत **Premji Ratansey vs Union Of India** 1994 SCC (5) 547 में प्रतिपादित विधि पर आधारित हैं, जिसका उल्लेख किया जाना आवश्यक हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त न्यायदृष्टांत में यह स्पष्ट किया है कि.....**It is equally settled law that injunction would not be issued**

**against the true owner. Therefore, the courts below have rightly rejected the relief of declaration and injunction in favour of the petitioners who have no interest in the property. Even assuming that they had any possession, their possession is wholly unlawful possession of a trespasser and an injunction cannot be issued in favour of a trespasser or a person who gained unlawful possession, as against the owner. Pretext of dispute of identity of the land should not be an excuse to claim injunction against true owner.**

37— वर्तमान प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य से वादीगण का विवादित भूमि पर स्वत्व प्रमाणित न होकर उनकी स्थिति अतिक्रमक की है तथा विवादित भूमि राजघाट बांध तथा वन विभाग के स्वामित्व की भूमि होना प्रमाणित हैं। अतः वादीगण के विवादित भूमि के मूल स्वामी के विरुद्ध उपरोक्त न्यायमत के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि में हस्तक्षेप कर रहे हैं बल्कि यह प्रमाणित होता है कि विवादित भूमि में वादीगण का अवैध हस्तक्षेप है, जिसके कारण वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई भी सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 3 व 4 प्रमाणित न होने से उनका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

### वाद प्रश्न क्रमांक 5 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

**सहायता एवं वाद व्यय:—**

38— अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण अपना दावा साबित करने में पूरी तरह से असफल रहे हैं जबकि प्रतिवादीगण के द्वारा विवादित भूमि पर अपना स्वत्व संदेह से परे साबित किया गया है। अतः उपरोक्त आधार वाद प्रमाणित न होने से निरस्त किया जाता है तथा निम्न आशय की अज्ञप्ति जारी की जाती है।

01. वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है।

02. वादी व प्रतिवादीगण अपना अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

03. अधिवक्ता शुल्क की राशि प्रत्येक दशा में भुगतान के प्रमाणिकरण के अधीन नियम 523 म0प्र0 व्यवहार न्यायालय

नियम एवं आदेश के अनुसार संगणित या जो वास्तविक रूप से भुगतान की गई हो या जो न्यून हो व्यय में जोड़ा जावे।

तदनुसार डिक्री की रचना की जावें ।

निर्णय आज दिनांक को दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।  
मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित  
किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
तह0 चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
तह0 चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.